न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 81/2017

चतुर्भुज पुत्र श्री गोपीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम महुआ पुलिस थाना सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

1. रामप्रसाद पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम महुआ तह0 मांगरोल जिला बारां
2. रामकिशन पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मीणा निवासी महुआ तह0 मांगरोल जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टा बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री के0 के0 सोनी
वकील प्रतिवादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव
दायरा दिनांकः 22.08.2017

निर्णय दिनांक : 31.08.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम महुआ तह0 मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 68 जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में वर्णित आराजी खसरा नं0 109/1097 रकबा 0. 56 है0 वादी के खाते दर्ज है। जो उसको कीमतन आवंटन हुई थी। वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त था तथा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। वादी की आराजी के लगवा उत्तरी ओर प्रतिवादी कम 1 की आराजी स्थित है प्रतिवादी कम 1 ताकत के बल पर प्रतिवादी कम 2 अपने पुत्र के सहयोग से आये दिन वादी के खेत की मेडो को तोडकर आराजी को नुकसान पहुचाकर कब्जा करने का प्रयास करता रहता है। जिसकी पुलिस थाना सीसवाली में वादी द्वारा रिपोर्ट कराये जाने के पश्चात भी प्रतिवादी कम 1 एवं 2 ने विवादित आराजी पर से कब्जा नही हटाया व अवैध ढंग से आराजी पर कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी कम 1 व 2 का आराजी में कोई हक नही है लेकिन जबरन ताकत के बल पर वादी के खाते की आराजी खसरा नं0 109/1097 रकबा 0.56 है0 में दखलअंदाजी कर अतिक्रमण कर कब्जा करने पर आमादा है। अतः न्यायहित में वादी प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को आराजी खसरा नं0 109/1097 रकबा 0.56 है0 में दखलअंदाजी न करने अवैध अतिक्रमण न करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा सकने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी कम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे वादी के कब्जे काश्त व उपयोग की आराजी खसरा नं0 109/1097 रकबा 0.56 है0 में किसी भाग में अतिक्रमण कर कोई दखलअंदाजी न करें। न ही कोई नुकसान पहुचांवे और न ही कोई काश्त करें। प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा खसरा नं0 109/1097 रकबा 0.56 है0 में उत्तरी ओर रकबा 0.24 है0 पर कब्जा कर अतिक्रमण किया है प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य को विवादित रकबे में अतिक्रमण माना जाता है तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को उक्त रकबे पर कब्जा दिलवाया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 22.08.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर क्रिया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बुद्धि

मालव ने दिनांक 12.04.2018 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रविवादीगण द्वारा आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है। दिनांक 31.08.2018 को पत्रावली पेश होने पर वकील वादी उपस्थित है। वकील प्रतिवादी को रूक–रूक कर तीन बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी अनुपस्थित होने से अवसर जवाब समाप्त कर एक्स पार्टी घोषित कर कार्यवाही एक्स पार्टी घोषित कर कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लायी गई। साक्ष्य वादी की हैसियत से स्वयं वादी की ओर से वकील वादी ने तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किया जो शामिल फायल है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। वकील वादी दिनांक 31.08.2018 को उपस्थित है। एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस मे उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसका उन्होने अपने वाद पत्र में अंकन किया है। प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादीगण कम 1 व 2 के विरूद्ध अवैध अतिकमण किये जाने की शिकायत भी पुलिस थाना सीसवाली में करवायी गयी है। वादी चतुर्भुज पुत्र श्री गोपीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम महुआ द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार वादी ग्राम महुआ तह0 मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 68 जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में वर्णित आराजी खसरा नं0 109/1097 रकबा 0.56 है0 का रेकार्डेड खातेदार है एवं उक्त आराजी से प्रतिवादी कम 1 व 2 का दूर–दूर तक कोई संबंध नही है तथा प्रतिवादी कम 1 रामप्रसाद पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम महुआ व प्रतिवादी कम 2 रामकिशन पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मीणा निवासी महुआ वादी की उक्त आराजी के समीपस्थ कृषक है एवं वादी की आराजी खसरा नं0 109/1097 रकबा 0.56 है0 पर बदनियति रखते है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एव सुनी गयी बहस के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कम 1 रामप्रसाद पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम महुआ व प्रतिवादी कम 2 रामकिशन पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मीणा निवासी महुआ को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादी की आराजी ग्राम महुआ तह0 मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 68 जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में वर्णित आराजी खसरा नं0 109/1097 रकबा 0.56 है0 में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करें और वादी को शांती पूर्वक काश्त करने देवें उक्त कृत्य ना तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि वादी की ग्राम महुआ तह0 मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 68 जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में वर्णित आराजी खसरा नं0 109/1097 रकबा 0.56 है0 का सीमाज्ञान करवाकर मौके पर वादी को कब्जा दिलवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

2. यह कि वादी उक्त वर्णित आराजी